न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 39/2020/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड़

दायरा दिनांकः 13.02.2020

अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. तोलाराम आत्मज धनश्याम (मृतक) जरिये का0मु0, जाति धाकड़ निवासी ग्राम डोवड़ा, तह0 खानपुर, जिला झालावाड़
   1/1 गजेन्द्र कुमार
   1/2 मनोज कुमार
   1/3 कमलेश
   1/4 कान्ती बाई
2. भीमराज आत्मज घनश्याम, जाति धाकड़, निवासी ग्राम डोवड़ा, तह0 खानपुर, जिला झालावाड़

...अपीलांट्स

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलाट्स
राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 05.03.2020

अपीलार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, झालावाड़ (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 267/अपील/12 में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2016 से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्याया0 भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में पेश की गई, जो राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना क्रः1(17)रेवे–6/2019/112 दि0 17.10.2019 के क्रम में स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने के उपरांत इस न्यायालय में पेश हुई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम डोबड़ा, तह0 खानपुर की खसरा नं 687 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि सिवायचक बंजड जो आम रास्ता खसरा नं0 683 के साथ जुड़ा होने पर एवं मौके के अनुसार रास्ते के उपयोग में होने से ''प्रशासन आपके द्वार अभियान'' वर्ष 2004–05 कैम्प डोबडा दिनांक 06.12.2004 में सिवायचक बंजड़ से राजस्व रिकोर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त आदेश द्वारा ख0नं0 687 की भूमि रास्ते हेतु आवंटन की गई है, जो न्याय संगत नहीं होने से निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र को उचित नहीं बताते हुए ''कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन न कर

रास्ते हेतु भूमि आवंटन की गई है'' उल्लेखित करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.04.2016 को खारिज करने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 में इस आशय की पेश कि गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 खारिज करने में त्रुटि की है। उपखण्ड अधिकारी, खानपुर द्वारा प्रश्नगत आराजी खसरा नं 687 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि की किस्म बंजड से गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना अधिकारविहिन एवं त्रुटिपूर्ण हैं। पूर्व खसरां नं0 439 एवं 440 की 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि के सेटलमेंट में नये खसरा नं0 688 का रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा कायम हुआ है। इस प्रकार अपीलांट के खाते में 7 बिस्वा रकबा बिना किसी आधार के कम दर्ज किया गया, जिसे समीपवर्ती खसरा नं0 687 की भूमि में अवैधानिक रूप से शामिल कर रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कर सिवायचक दर्ज कर भूमि की किस्म बंजड़ अंकित कर दी। जबकि अपीलांट के खाते की उपरोक्त भूमि एवं खसरा नं0 449 के मध्य में कभी कोई सरकारी रास्ता नहीं रहा है, केवल मेड़ है जिस पर पैदल आ जा सकते हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायलय निर्णय दिनांक 27.04.2016 तथा उपखण्ड अधिकारी, खानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2004 को निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा प्रकट किया कि ग्राम डोबड़ा, तह0 खानपुर की खसरा नं 687 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि सिवायचक बंजड जो आम रास्ते खसरा नं0 683 के साथ जुड़ा होने पर ''प्रशासन आपके द्वार अभियान'' वर्ष 2004–05 कैम्प डोबडा आदेश दिनांक 06.12.2004 में सिवायचक बंजड़ से राजस्व रिकोर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। जो न्याय संगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र को उचित नहीं बताते हुए ''कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन न कर रास्ते हेतु भूमि आवंटन की गई है'' उल्लेखित करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.04.2016 से खारिज किया गया। जबकि उपखण्ड अधिकारी, खानपुर को खसरा नं 687 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि की किस्म बंजड से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के किस्म परिवर्तन करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना–पत्र 14(4) खारिज नहीं कर सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 27.04.2016 तथा उपखण्ड अधिकारी, खानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2004 को अपास्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र को उचित नहीं बताते हुए ''कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन न कर रास्ते हेतु भूमि आवंटन की गई है'' उल्लेखित करते हुए क्षेत्राधिकार के अभाव तथा पोषनीय (मेन्टेनेबल) नहीं होने से निर्णय दिनांक 27.04.2016 से जेरअपील को खारिज किया गया है, जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही है। अतः अपील अपीलांट को खारिज किया जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है, डिले कन्डोन हेतु धारा 5 परिसीमन अधिनियम का प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 एवं शपथपत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति में न्यायहीत में अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। अपीलांट्स का मुख्य तर्क है कि ग्राम डोबड़ा, तह0 खानपुर की खसरा नं 687 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि सिवायचक बंजड जो आम रास्ते खसरा नं0 683 के साथ जुड़ा होने पर ''प्रशासन आपके द्वार अभियान'' वर्ष 2004–05 कैम्प डोबडा आदेश दिनांक 06.12.2004 में सिवायचक बंजड़ से राजस्व रिकोर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। पूर्व खसरा नं0 439 एवं 440 की 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि के सेटलमेंट में नये खसरा नं0 688 का रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा कायम हुआ है। इस प्रकार अपीलांट के खाते में 7 बिस्वा रकबा बिना किसी आधार के कम दर्ज किया गया, जिसे समीपवर्ती खसरा नं0 687 की भूमि में अवैधानिक रूप से शामिल कर रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कर सिवायचक दर्ज कर भूमि की किस्म बंजड़ अंकित कर दी। पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि दिनांक 05.12.2004 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ग्राम डोबडा खसरा नं 687 सिवायचक किस्म बंजड दर्ज होने पर उक्त भूमि को रास्ते में चिन्हित करने हेतु रिपोर्ट पेश की गई। जिसके आधार पर दिनांक 06.12.2004 को अन्तर्गत ''प्रशासन आपके द्वार अभियान'' वर्ष 2004–05 कैंप डोबडा में दिनांक 06.12.2004 को उक्त प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 687 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा को सिवायचक बंजड़ से गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं प्रश्नगत अपील प्रकरण में ऐसे कोई दस्तावेजात/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह साबित हो सके कि ख0 न0 687 का पूर्व से अस्तित्व नहीं हो। ऐसी स्थिति में न्यायहित में ग्राम डोबड़ा के खसरा नं0 687 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि सिवायचक बंजड़, जो आम रास्ते खसरा नं0 683 से जुड़ा होने से ''प्रशासन आपके द्वार अभियान'' केम्प डोबड़ा में आदेश दिनांक 06.12.2004 से रिकोर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश उचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र को उचित नहीं बताते हुए ''कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन न कर रास्ते हेतु भूमि आवंटन की गई है'' उल्लेखित करते हुए क्षेत्राधिकार के अभाव तथा पोषनीय (मेन्टेनेबल) नहीं होने से निर्णय दिनांक 27.04.2016 से जेरअपील को खारिज किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 27.04.2016 मे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है। फलत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा